तारीख हुक्म	न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सांगोद कोटा रामदयाल बनाम रमेशचंद CIS NO - 153/18	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/01/2026	अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 2 नियम 1 व 2 सीपीसी गत पेशी पर सुनी जा चुकी है पत्रावली आज आदेश हेतु प्रस्तुत हुई है। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिये कि हस्तगत वाद से पूर्व एक वाद माननीय न्यायालय में वाद संख्या 14/2012 बउनवान रमेशचंद बनाम रामदयाल प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर दिया है। इस वाद की विषयवस्तु प्रतिवादी के काउंटर क्लेम की विषयवस्तु से बिल्कुल मिलती जुलती है एवं जो सहायता इस वाद में वादी द्वारा चाही गई है वही सहायता प्रतिवादी की हैसियत से काउंटर क्लेम घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व सुखाधिकार ही चाही गई है। जब प्रतिवादी ने अपने काउंटर क्लेम में रिलीफ मांगी है तो इस वाद को प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं ह एवं एक ही सहायता के लिए दो वाद प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। वादी ने जबरदस्ती नया रास्ता पंचायत की आड़ में प्रशासन, पैसा एवं ताकत के बल पर कायम करवा लिया है तथा माननीय न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना की है तथा अब इस दावे की आड़ में रास्ते का सुखाधिकार बनाकर स्थगन आदेश प्राप्त करना चाहता है जिसका वादी को कोई अधकार प्राप्त नहीं है। अतः अंत में प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर एक ही विवाद के लिए दो वाद संस्थित नहीं किए जाने से इस वाद को रद्द किए जाने के आदेश दिए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का लिखित में जवाब प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिए कि माननीय न्यायालय में मु.नं. 14/212 रमेशचंद बनाम रामदयाल वगै प्रस्तुत होना व उक्त वाद में प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश करना स्वीकार है। लेकिन, इस वाद की विषयवस्तु एवं काउंटर क्लेम की विषयवस्तु एक समान नहीं है। काउंटर क्लेम में चाही गई सहायता में पक्षकार भी समान नहीं है। प्रस्तुत वाद में वादी ने अपनी कृषि आराजी में आने जाने का सुखाधिकार का वाद पेश किया है। परंतु पक्षकारों की भिन्नता है। इसलिए रिलीफ भी एक समान नहीं मानी जा सकती। वादीगण द्वारा ग्राम पंचायत में प्राथना पत्र पेश किया था। ग्राम पंचायत ने अपना फैसला देकर वादीगण का रास्ता खुलासा करवाया था एवं ग्रवेल सडक भी सार्वजनिक हित में बनवाई थी परंतु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए फैसले का उल्लंघन कर	

रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते हैं इसलिए प्रस्तुत वाद पेश किया गया है जिसका काउंटर क्लेम से कोई संबंध नहीं है। अतः अंत में प्राथीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया, पत्रावली का व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट आता है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से हस्तगत वाद के संबंध में वादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद 14/2012 बउनवान रमेशचंद बनाम रामदयाल वगै. में जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत करने से व जिसकी विषयवस्तु एवं इस वाद की विषयवस्तु एवं अनुतोष बिलकुल मिलती जुलती होने से वादी द्वारा प्रस्तुत इस वाद को खारिज किए जाने का अनुतोष चाहा है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से न्यायालय के समक्ष प्रकट आता है कि हस्तगत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण रमेशचंद, बाबूलाल, सत्यनारायण, बालमुकुंद व खेमराज के विरुद्ध प्रस्तुत किया है जबकि वाद 14/12 रमेशचंद बनाम रामदयाल काउंटर क्लेम मात्र वादी रमेशचंद के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। हस्तगत वाद दिनांक 03-10-2012 को उत्पन्न हुए वाद कारण के संबंध में संस्थित किया गया है जिसमें वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध सुखााधिकार के अधिकार की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री का अनुतोष चाहा है जबकि पूर्व में प्रस्तुत वाद 14/12 रमेशचंद बनाम रामदयाल वगै. में वादकारण 03.10.2012 से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है तथा उक्त वाद में प्रतिवादी रामदयाल वगै. द्वारा वादी रमेशचंद के विरुद्ध सुखाधिकार की घोषणा, अतिक्रमण हटाने के संबंध में आदेशात्मक व्यादेश एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। अतः इस प्रकार उपरोक्त दोनों वाद भिन्न वादकारण एवं भिन्न पक्षकारान के मध्य प्रथम दृष्टया होना न्यायालय के समक्ष प्रकट आता है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

प्रकरण न्यायालय का लक्षित प्रकरण संख्या 14 है। अतः प्रतिवादीगण आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से जवाब दावा पेश करें। पत्रावली वास्ते जवाब दावा दिनांक 03.02.2026 को पेश हो।

23/1/26

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त [illegible] मजिस्ट्रेट
सांगोद जिला कोटा (राज.)